"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2012—ज्येष्ठ 2, शक 1934

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-5/2012/35.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग तृतीय श्रेणी (तकनीकी और अलिपिक वर्गीय) दुग्ध सेवा भरती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से दो वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

सरल क्रमांक 3, 4, 6 एवं 7 के कॉलम (6) में, क्रमशः शब्द "जिला स्तरीय" जोड़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

क्रमांक एफ-4-5/2012/35.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना दिनांक 22-05-12 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd May 2012

NOTIFICATION

No. F-4-5/2012/35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Animal Husbandry and Dairy Development Department Class-III (Technical and Non-Ministerial) Dairy Services Recruitment Rules, 2009. This notification shall come into force from the date of 17th January, 2012, for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule-I of the said rules,—

In column (6) of serial number 3, 4, 6 and 7, the words "District Level" shall be added, respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PARASNATH RAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.